(Authoritative English Text of this Department notification No.Yss-A(3)-4/2008 dated__________ as required under clause(3) of Article-348 of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh
Youth services and Sports Department.

No.YSS-A (3)-4/2008. Dated:Shimla-2 the 7th December,2013

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of **Mountaineering Instructor** Class-III (Non-Gazetted) in Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports Manali, Department of Youth Services and Sports, Himachal Pradesh as per **"Annexure-"A"** attached to this notification, namely :-

Short title and commencement	1. (1)These rules may be called the Himachal Pradesh Youth Services and Sports, Department, Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports Manali, **Mountaineering Instructor CLASS_III (Non-Gazetted)** Recruitment and Promotion Rules, 2013. (2)These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
Repeal and savings	2.(1) The Himachal Pradesh Mountaineering and Allied Sports Manali, **Mountaineering Instructor CLASS_III, (NON Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997** notified vide this Department Notification No.YSS-B(1)6/94, dated 31-10-1997/22-12-1997 are hereby repealed. (2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevants rules so repealed under sub-rule(1) supra shall be deemed to have been validly made done or taken under these rules.

BY ORDER

Principal Secretary (YSS) to the
Govt. of Himachal Pradesh

Contd…P….2

No.YSS-A (3)-4/2008. Dated:Shimla-2 the 7th December,2013

Copy forwarded for information and necessary action :-

1. All the Administrative Secretaries to the Government of H.P.
2. The Secretary, H.P Public Service Commission, Shimla-2 with three copies of the notification. He is requested to get the notification published in the Rajpatra and also send a copy of the Gazette to this Department for official use.
3. The Director, ABV Institute of Mountaineering and Allied Sports, Manali, H.P., Distt.-Kullu, with 5 spare copies.
4. The controller, Printing & Stationery, H.P., Shimla-5 for publication in the Rajpatra(Extra Ordinary).
5. ALD-cum-Under Secretary(English and Hindi), H.P. Secretariat, Shimla-2.
6. Guard file

Under Secretary(YSS) to the
Govt. of Himachal Pradesh.

ANNEXURE-"A"

RECTRUITMENT & PROMOTION RULES FOR THE POST OF MOUNTAINEERING INSTRUCTOR CLASS-III (NON GAZETTED) , IN THE ATAL BIHARI VAJPAYEE INSTITUTE OF MOUNTAINEERING & ALLIED SPORTS, MANALI, (HP)

1.	Name of the post	**i)Mountaineering Instructor** ii) To be re-designated as **Senior Mountaineering Instructor** after completion of 12 years of service, provided that the concerned person continues in the present cadre of Mountaineering Instructor without getting any financial benefit.
2	Number of posts	Twelve (12)
3	Classification	Class III (Non - Gazetted)
4.	Scale of pay	i) Pay scale for regular incumbents ₹ 10300-34800 + ₹3800/- (Grade Pay) **ii) Emoluments for contract employees** **₹14100/- P.M.as per details given in Col. No.15-A.**
5.	Whether selection post or Non selection Post	Non-Selection
6.	Age for direct recruitment	Between 18 and 45 years

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to candidate already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relax able for Scheduled Caste/ Scheduled Tribes /Other Backward categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the public Sector Corporations Autonomous Bodies who happened to be Governments Servants before absorption in Public Sector/ Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed, age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector/ Corporations/ Autonomous Bodies who were / are subsequently appointed by such Corporation/ Autonomous Bodies and who are/ were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial Constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment is relax-able at the discretion of the Recruiting Authority in case the candidate is otherwise well qualified.

7.	Minimum educational qualification and other qualifications required for direct recruit(s)	**ESSENTIAL QUALIFICATION** **I)**Bachelor's Degree or its equivalent from a recognized Board or University. **II)**Should have done Basic ,Advance Course in Mountaineering and Methods of Instruction Course from Mountaineering Institute, Manali or from Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling or Nehru Institute of Mountaineering Uttarkashi, and should be an experienced climber having done climbing of at least two major expeditions of 19,500 feet. **DESIRABLQUALIFIACTION**: **(I)**Two years experience as Mountaineering Instructor from a Institution recognized by the Government. **(II)** Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh
8.	Whether age and education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable

9.	Period of probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reason to be recorded in writing.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.	100% by direct recruitment on regular basis or on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col No.15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
11	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/transfer is to be made.	Not applicable
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Not applicable
13	Circumstances under which H.P. Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	As required under the Law.
14	Essential requirements for a direct recruitment.	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15	Selection for appoint to post by direct recruitment.	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment may be made on the basis of a written test and viva-voce test as may be conducted by Himachal Pradesh Service Commission or any other recruiting authority, as the case may be, the standard/ syllabus, etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.

15-A	Selection for appointment to the post by Contract appointment.	Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:- **(1) <u>CONCEPT:-</u>** **(a)** Under this policy, the Mountaineering Instructor, in Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports, Manali, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis: Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended. **(b) <u>POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSB</u>** The Director of the Mountaineering Institute, Manali after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. **H.P. Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.** **(**c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these rules. **II) <u>CONTRACTUAL EMOLUMENTS:-</u>** The Mountaineering Instructor appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹14,100/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay) An amount of ₹ 423/-(3% of the minimum of the pay band+grade pay) of the post as annual

increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year .

(III) <u>APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY:-</u>

The Director of the Atal Bihari Vajpayee Institute of mountaineering and Allied Sports Manali, H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) <u>SELECTION PROCESS:</u>-

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF <u>CONTRACTUAL APPOINTMENTS :-</u>

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Service Selection Board, Hamirpur from time to time.

<u>(VI) AGREEMENT:</u>

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annuxure-“B” appended to these rules.

(VII)<u>TERMS & CONDITIONS:</u>

(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹ 14100/- P.M. (which shall, be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contractual appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹ 423/- (3% of the minimum of the

pay band+grade pay) of the post for further extended years and no other allied benefit such as seniority/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee Mountaineering Instructor will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical Leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. They will subsequently

		be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner. (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale. (h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of Contract Appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
16	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/ Scheduled Tribes/Other Backward classes/other category of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental Examination	Not applicable
18	Powers to Relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with H.P .Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

****

ANNEXURE-"B"

FORM OF CONTRACT / AGREEMENT TO BE EXECUTIVE BETWEEN MOUNTAINEERING INSTRUCTOR AND THE GOVT. OF HP THROUGH THE DIRECTOR ATAL BIHARI VAJPAYEE INSTITUTE OF MOUNTAINEERING AND ALLIED SPORTS, MANALI (H.P)

This agreement is made on this______________________________ day of __________________ in the year____ ____ between Miss/Smt./Sh.____ _______________ S/o/D/O/W/o_________________________R/O________________________________ ____ ____)

Contract appointee (here– in –after called the FIRST PARTY) , and the Governor of Himachal Pradesh through the Director , Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports Manali H.P (here - in – after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the first party has agreed to serve as a Mountaineering Instructor on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the first party shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Mountaineering Instructor for a period of one year commencing on the day of _________and ending on the day of ________________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of FIRST PARTY with second party shall ipso - facto stand terminated on the last working day i.e. on __________ and information notice shall not be necessary:

Provided that for extention/renewal of the contract the Head of the Department shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the ear and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the First Party will be ₹,14,100/- per month.

3. The service of first party will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Mountaineering Instructor will be entitled for one-day casual leave after putting in one-month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks maternity leave and 10 days medical leave. He/she shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave on any other kind except above is admissible to the contract appointee.

5. Unauthorized absence from duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Mountaineering Instructor will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis, wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.

9. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS The FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS: -

1____

____

____

(Name & Full Address)

2.

____

____

____

(Name & Full Address)

(Signature of the First Party)

IN THE PRESENCE OF WITNESS: -

1.

____

____

____

(Signature of the First Party)

(Name & Full Address)

2.

____

____

____

(Name & Full Address)

हिमाचल प्रदेश सरकार
युवा सेवाएं एवं खेल विभाग

वाई0एस0एस0–ए(3)–4/2008 तारीख शिमला 7–12–2013

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश युवा सेवाएं एवं खेल विभाग अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली में, पर्वतारोहण प्रशिक्षक, वर्ग– III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध –''**क**'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश युवा सेवाएं एवं खेल विभाग अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली में पर्वतारोहण प्रशिक्षक वर्ग–III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगें।

निरसन और व्यावृत्तियां। 2. (1)इस विभाग की अधिसूचना संख्या वाई0एस0एस0–बी (1)–6/94 तारीख 31–10–1997/22–12–1997 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश पर्वतारोहण एंव सहबद्व खेल संस्थान मनाली पर्वतारोहण प्रशिक्षक वर्ग–III, (अराजपत्रित) भर्ती एंव प्रोन्नति नियम 1997 को एतद द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (युवा सेवाएं एवं खेल)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृठांकन सं0 यथोपरि   दिनांक शिमला–2   7–12–2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है:–

1. प्रधान सचिव (कार्मिक)/वित्त/विधि विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2।
2. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला–2।
3. सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला–4।
4 निदेशक,अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बद्ध खेल संस्थान मनाली, जिला–कुल्लू।
5 सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव विधि, हि0 प्र0 सचिवालय, शिमला–2।
6 संरक्षण नस्ति।

अवर सचिव(युवा सेवाएं एवं खेल)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

उपाबन्ध–'क'

अटल बिहारी बाजपेयी पर्वतारोहण एंव सहबद्व खेल संस्थान. मनाली हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण प्रशिक्षक वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1	पद का नाम :	(i)पर्वतारोहण प्रशिक्षक (ii) बारह वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् वरिष्ठ पर्वतारोहण प्रशिक्षक के रुप में पदानिहित किया जाएगा परन्तु सम्बद्व व्यक्ति कोई वितीय लाभ प्राप्त किए बिना पर्वतारोहण प्रशिक्षक के काडर में बना रहेगा।
2	पदों की सख्या :	बारह (12)
3	वर्गीकरणः	वर्ग–III (अराजपत्रित)
4	वेतनमानः	(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान ₹10300-34800 जमा ₹ 3800(ग्रेड पे)। (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धिया स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹14100/- प्रतिमास।
5	चयन पद अथवा अचयनः	अचयन पद
6	सीधी भर्ती के लिए आयुः	18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा तर्दथ या संविदा के आधार पर नियुक्ति किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा;

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए, ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञय है :

परन्तु यह और कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो प चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के प चात ऐसे निगमों /स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमंन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तिय(व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :	**अनिवार्य अर्हता :–** (I) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या इसके समतुल्य। (II) पर्वतारोहण संस्थान मनाली या हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग या नेहरु पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी से पर्वतारोहण में बुनयादि उच्च कोर्से (बेसिक एडवान्स कोंस) तथा अनुदेशन प्रणाली कोर्स किया हो और अनुभवी आरोहक जिसने कम से कम 19,500 फुट चढ़ाई के दो प्रमुख अभियानों में चढ़ाई की होनी चाहिए। **वांछनीय अहर्ता :–** I) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से पर्वतारोहण प्रशिक्षक के रुप में दो वर्ष का अनुभव हो।

		2) हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और भौक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियो ंकी द ाा में लागू होंगी या नही :	लागू नहीं ।
9	परिवीक्षा की अवधि यदि कोइः	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे ।
10	भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद(पदों) की प्रति ातता :	भात प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15–क में दी गई उपलब्धियॉ प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में यथा विनिर्दिस्ट सेवा शर्तो द्वारा विनियमित होंगे।
11	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा।	लागू नहीं ।
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो, उसकी संरचना	लागू नहीं ।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा :	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए

	नियुक्ति के लिए चयन :	चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि, यथास्थिति , हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, आदि, यथास्थिति आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15—क	संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :— (I) **<u>संकल्पनाः</u>** क) इस पॉलिसी के अधीन अटल बिहारी बाजपेयी पर्वतारोहण एंव सम्बद्व खेल संस्थान मनाली हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण प्रशिक्षक को संविदा के आधार पर, प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए रखा जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा : परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष के आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोशजनक रहा है, और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। ख) **पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आनाः—** निदेशक, पर्वतारोहण संस्थान मनाली रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड,हमीरपुर के समक्ष रखेगा। ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा।

		(II) **संविदात्मद उपलब्धियाः–** संविदा के आधार पर नियुक्त पर्वतारोहण प्रशिक्षक को ₹14,100/–की नियत समेकित संविदात्मक रकम (जो पे बैंण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होंगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (बर्षों लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 423/–रुपए की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्वि के रुप में अनुज्ञात की जाएगी। (III) **<u>नियुक्ति/अनशासन प्राधिकारी :</u>** निदेशक, अटल बिहारी बाजपेयी पर्वतारोहण एंव सम्बद्व खेल संस्थान मनाली नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा। (IV) **<u>चयन प्रक्रिया :</u>** संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा और व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम सम्बद्व आदि भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा। (V) **<u>संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः :</u>** जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय–समय पर गठित की जाए। (VI) **<u>करारः</u>** अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबधं–''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा । (VII) **<u>निबन्धन और भार्ते :</u>** क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 14,100/– की नियत संविदात्मक रकम (जो पे

		बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे **ब**ढ़ाए गए वर्ष/बर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹423/– (पद के पे बैण्ड के न्यनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा। (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर पर्वतारोहण प्रशिक्षक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियंम्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश औद इस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्श तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की (समाप्ति) पर्यावसान हो जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति डियूटी (कर्त्तव्य) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा। (ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

		(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी /रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा। (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसा नियमित पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी। (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0 आर0एस0आर0, छुटटी नियम, साधारण भविश्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के हकदार होंगे।
16.	आरक्षण :	सेवा में नियुक्त हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों /पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17.	विभागीय परीक्षाः	लागू नंही।
18	शिथिल करने की शक्ति :	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आव यक या समीचीन है, वहां वह, करणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

****

उपाबन्ध–'ख'

पर्वतारोहण प्रशिक्षक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बद्व खेल संस्थान मनाली, (हिमाचल प्रदेश) के माध्यम से निस्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति..पुत्र/पुत्री..श्री.................................. निवासी...संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बद्व खेल संस्थान मनाली, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..................................... को किया गया।

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने पर्वतारोहण प्रशिक्षक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः–

1. यह कि ''प्रथम पक्षकार'पर्वतारोहण प्रशिक्षक के रूप में..................................... से प्रारम्भ होने और.................................. को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्... दिन को स्वंयमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

परन्तु संविदा अविध में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्व विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोशजनक रहा है, और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार का संविदात्मक रकम 14,100/–रुपए प्रति मास होगा।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्व नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति मास की सेवा पूरी करने के प चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियंक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

परन्तु अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त पर्वतारोहण प्रशिक्षक कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आव यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतू पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित होगा ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी वेतनमान के न्यूनतम पर नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0 पी0 एफ0 / जी0 पी0 एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरुप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख का अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में

1...

....

....

(नाम व पूरा पता)

2...

....

....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में

1...

....

....

(नाम व पूरा पता)

2...

....

....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)